सचिका स0–7/विविध–28–24/2022– 136 (7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवामे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–19/03/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों में अन्तःवासी मरीजों (**In-door Patients**) के वस्त्रों की धुलाई सेवा (**Laundry Services**) एवं राज्य के सभी जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों तथा 2 (दो) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में साफ–सफाई (**Cleanliness Services**) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'जीविका' के माध्यम से करने एवं इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु क्रमशः रु० 2,00,00,000/– (रुपये दो करोड़) मात्र तथा रु० 15,00,00,000/– (रुपये पन्द्रह करोड़) मात्र अर्थात कुल रू० 17,00,00,000/– (रुपये सत्रह करोड़) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–454(7), दिनाक–13 02 2023 द्वारा राज्य के सभी जिला अस्पतालों (District Hospitals) तथा अनुमंडलीय अस्पतालों (Sub Divisional Hospitals) एव चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों मे अन्तःवासी मरीजों (In-door Patients) के वस्त्रो की धुलाई सेवा (Laundry Services) एवं स्वास्थ्य संस्थानों के साफ–सफाई (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'जीविका' के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिस के तहत् स्वास्थ्य विभाग द्वारा राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाएगी, जो मॉग एव आपूर्त्ति किये जाने के आधार पर केन्द्रीकृत भुगतान, निर्धारित दर पर जीविका को करेगे।

2– बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), बिहार, पटना का ज्ञापांक–4539, दिनाक–26 02 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य के सभी जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों मे अन्त.वासी मरीजो (In-door Patients) के वस्त्रों की धुलाई सेवा (Laundry Services) एव राज्य के सभी जिला अस्पतालो/अनुमंडलीय अस्पतालो तथा 2 (दो) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों (यथा–दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभगा एव मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया) मे साफ–सफाई (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा सपोषित सामुदायिक सगठन, यथा–'जीविका' के माध्यम से करने हेतु कुल रू० 48,00,00,000/– (रुपये अडतालीस करोड) मात्र की मॉग की गयी है।

3– विदित हो कि पूर्व मे राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किये गये माग के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों में अन्तःवासी मरीजों (In-door Patients) के वस्त्रो की धुलाई सेवा (Laundry Services) एव राज्य के सभी जिला अस्पतालों/अनुमडलीय अस्पतालों तथा 9 (नौ) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों मे साफ–सफाई (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित

सामुदायिक संगठन, यथा—'जीविका' के माध्यम से करने एवं इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु क्रमशः रु० 3,00,00,000/— (रुपये तीन करोड) मात्र तथा रु० 16,00,00,000/— (रुपये सोलह करोड) मात्र अर्थात कुल रू० 19,00,00,000/— (रुपये उन्नीस करोड) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति विभागीय पत्राक—412(7), दिनाक—21 11 2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

4— पुनः बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), बिहार, पटना द्वारा किये गये उपर्युक्त मांग के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025—26 में राज्य के सभी जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों मे अन्तःवासी मरीजो (In-door Patients) के वस्त्रो की धुलाई सेवा (Laundry Services) एवं राज्य के सभी जिला अस्पतालो/अनुमंडलीय अस्पतालों तथा 2 (दो) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों मे साफ—सफाई (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा सपोषित सामुदायिक सगठन, यथा—'जीविका' के माध्यम से करने एव इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु क्रमश. रु० 2,00,00,000/— (रुपये दो करोड) मात्र तथा रु० 15,00,00,000/— (रुपये पन्द्रह करोड) मात्र अर्थात कुल रू० 17,00,00,000/— (रुपये सत्रह करोड) मात्र विवरणी के अनुरूप सुसगत विपत्र कोडो के अन्तर्गत व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5— इस राशि की निकासी माग सख्या—20 अन्तर्गत विवरणी मे उल्लेखित सस्थानो के विपत्र कोड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 मे व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाये (28—04) मद मे बजट उपबध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6— इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA011 एवं विपत्र कोड—00-8448001200027-0001 मे सुलभ करायेगे।

8— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की यह जिम्मेवारी होगी कि विभागीय उक्त सकल्प एव वित विभाग द्वारा निर्गत समय—समय पर तत्संबद्ध परिपत्रो के वित्तीय नियमो का पूर्णत अनुपालन करते हुए राशि जीविका को उपलब्ध करायेगे।

9— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, वित विभाग के परिपत्र सं0—8599, दिनाक—01 10 2015 के आलोक में धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

10— यह व्ययादेश वित विभागीय परिपत्र सं0—2561/वि0(2) दिनाक—17 04 1998, 2419/वि0(2) दिनांक—05.04 2007, 8593/वि0(2) दिनाक—27 11 2007, 96/वि0(2) दिनाक—03 01 2008, 3923/वि0(2) दिनाक—09 04.2010 एव 12888/वि०, दिनाक—03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11— वित्त विभागीय पत्राक—1354/वि0 दिनांक—06.02.2026 की कडिका—02(iii) को वित्त विभागीय पत्रांक—2780/वि०, दिनाक—19 03.2026 द्वारा उक्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के पी०एल० खाते में अंतरण के निमित शिथिल किया गया है।

12— प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

13— प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०—7/विविध—28—24/2022 के पृष्ठ— 65./टि० पर प्राप्त है।

14— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक —7/विविध—28—24/2022 136(7B) /स्वा0,पटना, दिनाकः— 19/03/2026

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अधीक्षक, सबधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचित/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7B/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियो के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

विवरणी

28—04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद से **Laundry Services** हेतु आवंटन

क्रमांक	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	सदर एव अनुमंडल अस्पताल 20—2210011100013	**2,00,00,000**

28—04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद से **Cleanliness Services** हेतु आवंटन

क्रमांक	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	सदर एव अनुमडल अस्पताल 20—2210011100013	11,00,00,000
2	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभगा 20—2210011100002	3,00,00,000
3	मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया 20—2210011100006	1,00,00,000
	कुल—	**17,00,00,000**

कुल योग—17,00,00,000/— (रूपये सत्रह करोड़) मात्र